न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर केम्प कोर्ट गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी – श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 16/2015

अपीलांटस	बनाम	रेस्पोडेंटस
खेमाराम पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी थोरीयो का तला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		1. ईशराराम पुत्र पुरखाराम 2. डालूराम पुत्र पुरखाराम 3. तुलसाराम पुत्र पुरखाराम 4. तीजों देवी पत्नी पुरखाराम 5. वीराराम पुत्र कोहलाराम 6. मालाराम पुत्र कोहलाराम 7. तगी पत्नी कोहलाराम 8. नवलाराम पुत्र मोटाराम 9. लाभूराम पुत्र मोटाराम 10.लिखमाराम पुत्र मोटाराम 11.रणछाराम पुत्र सोनाराम 12.रेखाराम पुत्र सोनाराम 13 मूलाराम पुत्र सोनाराम 14. गैरो पत्नी सोनाराम 15. उदाराम पुत्र गेमराराम 16. पूनमाराम पुत्र गेमराराम 17. तुलसी पत्नी धर्माराम 18. मूलाराम पुत्र देवाराम 19. लाधूदेवी पत्नी देवाराम 20. जसाराम पुत्र अमराराम 21. हीराराम पुत्र अमराराम 22. रेखाराम पुत्र पोकरराम 23. मूलाराम पुत्र पोकरराम 24. राजो पत्नी पोकरराम जातियान जाट निवासी थोरीयों का तला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 25. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 5.6.2015 द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी

उपस्थित– 1. अपीलांट उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं0 01, 8, 11, 12, 13, 15, 21 उपस्थित
3. रेस्पोंडेंट सं0 02से 07, 10, 14, 16 से 20, 22 से 24 अनुपस्थित।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश **दिनांक 22.6.2016**

1. संक्षेप में अपीलान्ट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 24 की सह–खातेदारी आराजी भूमि खेत खसरा नंबर 95 रकबा 201.07 बीघा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 20 से 24 हिस्सा 1/5, खसरा नंबर 127 रकबा 0.06 बीघा रेस्पोडेंटसंख्या 01 से 07 हिस्सा 1/5, खसरा नंबर 131 रकबा 302.05 बीघा रेस्पोडेंट संख्या 08 से 19 हिस्सा 1/5, खसरा नंबर 129 रकबा 0.08 बीघा रेस्पोडेंट संख्या 01 से 07व 11 से 19 एवं खसरा नंबर 130 रकबा 0.03 बीघा अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 20 से 24 की मौजा थोरीयों का तला पटवार मण्डल मालपुरा तहसील गुड़ामालानी में आई हुई है। उक्त आराजी का विभाजन आवेदन दिनांक 5.6.2015 को तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष पेश कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.6.2015 पारित करवाया गया। उस समय अपीलांट अपनी सकूनत से गुजरात गया हुआ था हाल ही में लौटने पर उसे इस विभाजन आदेश का ज्ञान हुआ। विभाजन आवेदन पर प्रस्तुतकर्ता के नाम का अंकन नहीं होने, अपीलांट के आवेदन पर हस्ताक्षर/निशान अंगुष्ठ नहीं होने एवं न ही विभाजन आदेश पर पक्षकारो के फोटो चस्पा किये गये। अपीलांट की सहमति के अभाव में पारित विभाजन आदेश विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।
2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंटस को सम्मन जारी किये एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की। पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कोर्ट केम्प गुड़ामालानी में पेश हुई। जिसके लिए पक्षकारान एवं अभिभाषकगण को नोटिस की तामीली करा दी गई है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं0 01, 8, 11, 12, 13, 15, 21 उपस्थित रहे। रेस्पोंडेंट सं0 02से 07, 10, 14, 16 से 20, 22 से 24 अनुपस्थित।
3. हमने दोनों पक्षो की बहस सुनी। अपीलांट ने जाहिर कि हमारी सह–खातेदारी आराजी भूमि खेत खसरा नंबर 95 रकबा 201.07 बीघा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 20 से 24 हिस्सा 1/5, खसरा नंबर 127 रकबा 0.06 बीघा रेस्पोडेंटसंख्या 01 से 07 हिस्सा 1/5, खसरा नंबर 131 रकबा 302.05 बीघा रेस्पोडेंट संख्या 08 से 19 हिस्सा 1/5, खसरा नंबर 129

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

रकबा 0.08 बीघा रेस्पोडेंट संख्या 01 से 07व 11 से 19 एवं खसरा नंबर 130 रकबा 0.03 बीघा अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 20 से 24 की मौजा थोरीयों का तला पटवार मण्डल मालपुरा में स्थित है। अपीलाधीन विभाजन आवेदन पर उसके हस्ताक्षर/निशान अंगुष्ठ नहीं करवा कर किसी अन्य के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान करवाये गये है। जिस दिन विभाजन आवेदन तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष पेश किया गया उस दिन वह गुजरात मजदूरी हेतु गया हुआ था। अपीलांट रेस्पोडेंट संख्या 20 से 24 हिस्सा 1/5 में परम्परागत रूप से खसरा नंबर 131 में अपने हिस्सा 1/5 में रकबा 60.09 बीघा पर काश्त करते आ रहे है, परन्तु इस खसरे में वास्तविक हिस्से से कम 54.06 बीघा भूमि विभाजन में दी गई है, जिसका कोई कारण विद्यमान नहीं है। विभाजन आदेश के अनुसार खसरा नंबर 95 में रास्ते में दोनों तरफ का लाभ रेस्पोडेंटस संख्या 11 से 14 को दिया गया है, जबकि अपीलांट को रास्ते की सुविध से वंचित कर दिया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। सर्वप्रथम अपीलान्ट को इस विभाजन आदेश का दिनांक 05.08.2015 को वास्तविक ज्ञान हुआ एवं वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश की है। पक्षकारान लोक अदालत में इस प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते है। इसलिये लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए अपीलांटस की अपील स्वीकार कर पक्षकारान के भौतिक कब्जा काश्त अनुसार आराजी का विभाजन आदेश प्रदान करावें।

4. इसके जवाब में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं0 01, 8, 11, 12, 13, 15, 21 द्वारा लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया कि उक्त विभाजन में गांव थोरियो का तला के खसरा नंबर 95 की सड़क के किनारे पर आई हुई भूमि के संबंध में कुछ असहमति है। हम सह–खातेदार सहमत होकर मौजीत व्यक्तियों के रूबरू संशोधित तरमीम करवाना चाहते है। इसके लिऐ हमारे द्वारा पटवारी हल्का को मौके पर बुलाकर आपसी सहमति के आधार पर तरमीम करवाना तय किया गया है।

5. हमने अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस रेस्पोडेंट सं0 01, 8, 11, 12, 13, 15, 21 के कथन एवं प्रार्थना पत्र पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली, उस पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा विभाजन आदेश दिनांक 05.06.2015 को स्वीकृत करने के विरूद्व पेश की है। सह–खातेदारी आराजी भूमि खेत खसरा नंबर 95 रकबा 201.07 बीघा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 20 से 24 हिस्सा 1/5, खसरा नंबर 127 रकबा 0.06 बीघा रेस्पोडेंटसंख्या 01 से 07 हिस्सा 1/5, खसरा नंबर 131 रकबा 302.05 बीघा रेस्पोडेंट संख्या 08 से 19 हिस्सा 1/5, खसरा नंबर 129 रकबा 0.08 बीघा रेस्पोडेंट संख्या 01 से 07व 11 से 19 एवं

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

खसरा नंबर 130 रकबा 0.03 बीघा अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 20 से 24 की मौजा थोरीयों का तला पटवार मण्डल मालपुरा तहसील गुड़ामालानी में आई हुई है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस संख्या 1 से 24 तक आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया व सहमति से बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया। पक्षकारान द्वारा अपील में अंकित तथ्यों एवं लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए खसरा नंबर 95 की सड़क के किनारे पर आई हुई भूमि के संबंध में सह–खातेदार सहमत होकर मौजीज व्यक्तियों के रूबरू संशोधित तरमीम करवाना चाहते है, इस हेतु सहमति भी जाहिर की है। अपीलांट नें अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत् धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया है, जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर अपील अंदर म्याद सुमार की जाती है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांटस की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।

(ओ.पी.बिश्नाई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश खुले कोर्ट केम्प गुड़ामालानी में आज दिनांक 22.6.2016 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)